न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2022 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. चुनिया पिता जीवा, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नाथु पिता तेजसिंग, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. कोमचन्द पिता लखजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. रामचन्द्र पिता लखजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मृतक रामजी पिता हीरा, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा के बजाय :–

1/1. देवजी पिता रामजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. मृतक गवजी पिता रामजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा के बजाय :–

1/2/1. श्रीमती सविता पत्नी गवजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2/2. सुभाष पिता गवजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2/3. सुरेश पिता गवजी, नाबालिग जरिये संरक्षक वलिया माता श्रीमती सविता पत्नी गवजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. मेंघजी पिता रामजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. मृतक खातु पिता पन्ना, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा के बजाय :–

2/1. देवीलाल पिता खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/2. मना पिता खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:07 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

2/3\. मोहन पिता खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/4\. श्रीमती मेरी बेवा खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. श्रीमती ऐतरी पत्नी कोमचन्द, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. श्रीमती मंजुला पत्नी रामचन्द्र, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. श्रीमती मेरी पत्नी खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़
दिनांक 21.05.2013, प्र.सं. 57/2011

----/----

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री समर पण्डया अभिभाषक रे.सं. 1/1, 1/2/1, 1/3

----::----

निर्णय **दिनांक 20–02–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मृतक रामजी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालीया में कृषि आराजी नंबर 100/21, 101/39, 102/40, 103/47, 127/19, 21, 97/19, 98/19, 99/19 कुल किता 9 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी के खातेदारी की होकर वादी काबिज है। आराजी नंबर 100/21 पर वादी का मकान सेटलमेन्ट के समय से बना हुआ है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अपने निर्णय दिनांक 21–05–2013 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट... संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–...–2022 प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:07 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1, 1/2/1, 1/3 की ओर से अभिभाषक श्री समद पण्डया उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्टगण को दावे के सम्मन युक्ति युक्त व सम्यक रूप से तामिल नहीं हुए हैं फिर भी अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्टगण की तामिल मानकर दिनांक 21–05–2012 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उक्त निर्णय व डिक्री की पालना हेतु वर्ष 2022 में इजराय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2013 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा अपील दिनांक 29–07–2022 को प्रस्तुत की गयी है, जो 9 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताया है, वह 9 वर्ष के विलम्ब के लिए न तो उचित कारण प्रतीत होता है एवं न ही इतने वर्ष विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त कारण हैं। तदनुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 100/21 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा पर उनका कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है तथा उक्त भूमि अपीलान्टगण के खसरा नंबर 20 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा से लगती हुई भूमि है, जिस पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी कर दी है, जो त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:07 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट विवादित आराजी नंबर 100/21 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा के रेकार्डेड खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 अनुसार वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रामजी पिता हीरा विवादित आराजी नंबर 100/21 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा का रेकार्डेड खातेदार है, जिस पर अपीलान्टगण अपना पुराना कब्जा होना बताकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण होने का कथन कर रहे हैं। हम यह पाते हैं कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी नंबर 100/21 का रेकार्डेड खातेदार है तथा स्वयं अपीलान्टगण के कथनानुसार अपना कब्जा बताने से वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की जाना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में प्रकरण मानते हुए अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21-05-2013 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20-02-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:07 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

चुनिया पिता जीवा भील, निवासी कालिया पंडवाल, त0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य — बनाम — मृतक रामजी के बजाय देवजी पिता रामजी भील, नि0 कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़ व अन्य

अपील नं.....13/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....सज्जनगढ़ ..... मुकाम.....मुवर्खे.....21.....माह.....05.....2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20....माह.....02.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री जयेन्द्र पुरोहित....मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री समर पण्डया
.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2013 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20.....माह.....02.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)

प्रकरण सं0 57/2011 अन्तर्गत धारा 188, 209 रा0का0अ0 1955

रामजी पिता हीरा भील निवासी कालीया पडवाल तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज)

बनाम

1. चुनीया पिता जीवा भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ
2. नाथू पिता तेरसिंग भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़
3. कोमचंद पिता लखजी भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ
4. रामचंद पिता लखजी भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ
5. खातु पिता पन्ना भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ
6. श्रीमति एतरी पत्नी कोमचंद भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ
7. श्रीमति मंजुला पत्नी रामचंद भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ
8. श्रीमति मेरी पत्नी खातु भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ

उपस्थिति

1—श्री श्रेयस कुमार भट्ट अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 21.05.2013

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 188, 209 रा0का0अ0 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालीया में कृषि भूमि सर्वे नं0 100/21, 101/39, 102/40, 103/47, 127/19, 21, 97/19, 98/19, 99/19 रकबा क्रमशः 4.11, 2.10, 2.10, 1.12, 1.05, 0.10, 0.18, 1.15, 1.10 कुल खेत 9 कुल रकबा 17.01 लगान 3.38 वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त के होकर वादी काबिज व मालिक है। अभी मक्का कपास की फसलें वादी द्वारा बोई गई है। खाते की भूमि सर्वे नं0 100/21 में सेटलमेंट के समय से मकान वादी का बना हुआ होकर वह उसमें निवास करता है। प्रतिवादीगण उक्त खाते की भूमि में वादी की शांतिपूर्ण काश्त में गत वर्ष अषाड माह की पूनम के रोज से हर वक्त अनाधिकार हस्तक्षेप करते है व कहते है कि वे उक्त खाते में वादी को भविष्य में खेती करने नहीं देगें। सर्वे नं0 100/21 की भूमि में प्रतिवादीगण ने जबरन विवाद करना चालू कर दिया व अतिक्रमण कर वादी की भूमि सर्वे नं0 100/21 की भूमि को अपना सर्वे नं0 20 की भूमि की सीध में लेकर नया सेडा खेत के बीचों बीच में डालने को आमादा होकर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने आमादा है। गत वर्ष पुलिस कार्यवाही कर प्रतिवादीगण को पाबंद किया था लेकिन अभी 15 रोज पहले से सभी प्रतिवादीगण ने फिर से वादी की उक्त खेत सर्वे नं0 100/21 की भूमि पर जबरन सेडा बनाने का प्रयास कर बोवनी से रोका व वादी के साथ झगडा किया व कहा कि वे इस वर्ष भी वादी को बोवनी नहीं करने देगे। भविष्य में खेती नहीं करने देने की धमकी दी है। हर रोज खाते की संपूर्ण भूमि पर आकर विवाद करते है अनाधिकार प्रवेश व हस्तक्षेप करते है। समझाने पर भी प्रतिवादीगण मान नहीं रहे है। वादी की प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादी की शांतिपूर्ण काश्त में भविष्य में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करे न किसी अन्य के जरिये करावें। उपरोक्तानुसार वाद डिक्री करना फरमावें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी [illegible] प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण [illegible] नहीं किया। जिस [illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] 05.2012 [illegible] तरफा कार्यवाही की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रकरण वादी द्वारा द[illegible] दी सं0 2066—69 प्रदर्श—1, खसरा नकल सं0 2066—69 प्रदर्श—2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श—3 पेश किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

........2

प्रकरण जवाब दावा प्रस्तुत नहीं होने से बाद बिन्दुओं का निर्धारण नही किया गया।
वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में रामजी पी0डब्लू0–1 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। शहादा वादी बन्द कराई गई। प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई।

अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय निम्नानुसार है :–

वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 प्रदर्श–1 बादग्रस्त भूमि सर्वे नं0 100/21 रकबा 4.11, 101/39 रकबा 2.10, 102/40 रकबा 2.10, 103/47 रकबा 1.12, 127/19 रकबा 1.05, 21 रकबा 0.10, 97/19 रकबा 0.18, 98/19 रकबा 1.15, 99/19 रकबा 1.10 कुल खेत 9 कुल रकबा 17.01 लगानी रू0 3.38 रामजी पिता हीरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी सं0 2066–69 में बादग्रस्त खेतों में रामजी की काश्त दर्ज है। वादी रामजी पी0डब्लू0–1 अपने बयान में बताता है कि बादग्रस्त खेत ग्राम कालीया में मेरी खातेदारी व कब्जे काश्त के होकर काबिज व मालिक हूँ। लगान सरकार में जमा कराता हूँ। गत वर्ष फसल मक्का कपास बोई व काटी है। सेटलमेंट के समय से मेरा मकान बना हुआ होकर उसमें निवास करता हूँ। प्रतिवादीगण शांतिपूर्ण काश्त में हस्तक्षेप करते है। भविष्य में काश्त नहीं करने देने की धमकी देते है। प्रतिवादीगण ने जबरन विवाद करना चालू कर दिया व अतिक्रमण कर मेरी भूमि सर्वे नं0 100/21 की भूमि को अपना सर्वे नं0 20 की भूमि की सीध मे लेकर नया सेडा खेत के बीचों बीच में डालने को आमादा होकर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने आमादा है। गत वर्ष पुलिस कार्यवाही कर प्रतिवादीगण को पाबद किया था लेकिन अभी 15 रोज पहले से सभी प्रतिवादीगण ने फिर से वादी की उक्त खेत सर्वे नं0 100/21 की भूमि पर जबरन सेडा बनाने का प्रयास कर बोवनी से रोका व वादी के साथ झगडा किया व कहा कि वे इस वर्ष भी वादी को बोवनी नहीं करने देगे। भविष्य में खेती नहीं करने देने की धमकी दी है। हर रोज खाते की संपूर्ण भूमि पर आकर विवाद करते है अनाधिकार प्रवेश व हस्तक्षेप करते है। समझाने पर भी प्रतिवादीगण मान नहीं रहे है। प्रतिवादीगण ने इसके खण्डन में न तो किसी प्रकार जवाब दावा और न ही किसी प्रकार की दस्तावेजो या मौखिक प्रस्तुत की है। बादग्रस्त भूमि का वादी रेकार्डेड खातेदार है। अतः वादी पत्र में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

आज्ञा

मौजा कालीया की कृषि भूमि सर्वे नं0 100/21 रकबा 4.11 के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है वे बादग्रस्त भूमि में वादी की शांतिपूर्ण काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें और न ही किसी अन्य से हस्तक्षेप करावें। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2013 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़

उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:07 IST
Reason: SelfAttested

(13)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

ओ020रूल 6--7 जाब्ता दिवानी

अदालत : उपखण्ड अधिकारी
इजलास चन्दन दुबे

मुकाम – कुशलगढ़
आर0ए0एस0

रामजी पिता हीरा भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)

बनाम

1. चुनीया पिता जीवा भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़
2. नाथू पिता तेरसिंग भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़
3. कोमचंद पिता लखजी भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़
4. रामचंद पिता लखजी भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़
5. खातु पिता पन्ना भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़
6. श्रीमति एतरी पत्नी कोमचंद भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़
7. श्रीमति मंजुला पत्नी रामचंद भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़
8. श्रीमति मेरी पत्नी खातु भील निवासी कालीया पंडवाल तहसील कुशलगढ़

मुकदमा नं0– 57/2011

दावा बाबत् 188, 209 रा0का0अ01955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है/ डिक्री जारी की जाती है कि–

मौजा कालीया की कृषि भूमि सर्वे नं0 100/21 रकबा 4.11 के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है वे वादग्रस्त भूमि में वादी की शांतिपूर्ण काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें और न ही किसी अन्य से हस्तक्षेप करावें। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

मिज ......मुलातिग ..... बात ....खर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह ...... फिसदी सालाना आज तारीख से तारीख अदायगी तक..... वासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 21.05.2013 को जारी की गई

(चन्दन दुबे)
(उपखण्ड अधिकारी)
कुशलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

मुदई	रूपया पैसा	मुदायलाल	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजह सबूत		महनताना	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बावत् इजराय हुक्मनामा	
बावत् इजराय हुक्मनामा		मतफरिक मिजान मतफरियात	

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल हर [illegible] दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:07 IST
Reason: SelfAttested